पत्रांकः आर.जी.एम.–मैत्री/यू.पी.एल.डी.बी./2024–25 दिनांकः का संलग्नक–

राष्ट्रीय गोकुल मिशन अन्तर्गत कृत्रिम गर्भाधान आच्छादन बढ़ाने हेतु स्वरोजगारी मैत्री की स्थापना नियम–शर्ते निम्न प्रकार है :–

1:– योग्यता

(क) **शैक्षिक योग्यता** : अनिवार्य न्यूनतम अर्हता हाईस्कूल (विज्ञान वर्ग) उत्तीर्ण हो, इण्टर को वरीयता दी जायेगी।

(ख) आवेदक चयनित क्षेत्र की ग्राम पंचायत का निवासी हो एवं उसके पास स्वयं का दो पहिया वाहन हो।

(ग) पूर्णतः स्वस्थ एवं कार्य करने के योग्य हो। पशुपालक के द्वार पर पहुँच कर सेवा कर सके।

(घ) राजकीय चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र अपलोड करना अनिवार्य है। वोटर आई.डी. कार्ड/आधार कार्ड/पैन कार्ड आदि अन्य फोटो युक्त आई.डी. जो निर्वाचन आयोग से अनुमन्य है अपलोड करना अनिवार्य है।

(च) मैत्री चयन हेतु निर्धारित मानक के अनुसार यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के कुल प्राप्त अंकों में समानता हो तो प्रथम दृष्टया प्रवासी श्रमिकों/पशु सखी/पैरावेट (जो वर्तमान में पशुचिकित्सा अधिकारी की देख–रेख में कार्य कर रहा हो) अभ्यर्थी को, तत्पश्चात् अधिक उम्र के अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।

2:– आवेदक की आयु दिनांक 01.08.2024 को 18 वर्ष हो।

3:– आवेदन पत्र जमा करने की **अन्तिम तिथि** :– 08.09.2024

4:– यह योजना पूर्णतः स्वरोजगार सृजन की अवधारणा पर आधारित है। आवेदक को किसी भी स्थिति में शासकीय सेवा में संविलियन का कोई अधिकार नहीं होगा। चयनित अभ्यर्थी को 30 दिनों का सैद्धान्तिक प्रशिक्षण (कार्य दिवस) एवं 60 दिनों का व्यावहारिक प्रशिक्षण कराया जायेगा। चयनित अभ्यर्थी को सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त मैत्री (मल्टी परपज ए0आई0 टेक्निशियन इन रूरल इण्डिया) के रूप में कार्य करने हेतु प्रमाण–पत्र, प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा उपलब्ध करायी गयी आई0डी0 (Identity Card), भारत पशुधन आई0डी0 एवं उपकरण (ए.आई. किट, कास्ट्रेटर, बायोलॉजिकल क्रायोकन्टेनर–3 ली0) इत्यादि उपलब्ध कराये जायेगें।

5:– समस्त मैत्री को स्थापना उपरान्त उनसे संबंधित ए.आई. केन्द्र पर उनके मांग के अनुसार कृत्रिम गर्भाधान संबंधी समस्त संसाधन ससमय उपलब्ध कराये जायेंगे। साथ ही दिये गये इन संसाधनों का मुख्यालय द्वारा अनुश्रवण भी किया जायेगा।

6:– जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा अभ्यर्थी के चयन से पूर्व भौतिक ब्लाकवार अभ्यर्थी की उपलब्धता/आवश्यकता का आकलन कर उस आधार पर ही अभ्यर्थियों के चयन की कार्यवाही की जाये, जिसकी सूचना आनलाईन मैत्री पोर्टल पर निर्धारित प्रारूप पर एक्सल (Excel soft copy) में अपलोड करें एवं सूचना की पी.डी.एफ. परिषद के ई–मेल upldbte@gmail.com पर भेजना सुनिश्चित करें।

7:– **चयनित अभ्यर्थियों को चयनोपरान्त इस आशय का शपथ–पत्र देना होगा कि वे एक स्वरोजगारी के रूप में कार्य करेगें। सरकारी सेवा में किसी भी स्थिति में संविलियन का कोई अधिकार नहीं होगा तथा इसके लिए कभी दावा नही करेगें।**

8:– मैत्री का कार्य प्रारम्भ करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के पूर्व कार्य बन्द कर देने की अवस्था में प्रशिक्षण की अवधि में योजनान्तर्गत व्यय की गई धनराशि तथा समस्त उपकरण सही अवस्था में वापस करने के लिये वचनवद्ध रहेंगे। मुख्यालय द्वारा जनपद स्तर पर उनके द्वारा किये गये कार्य की समीक्षा की जायेगी एवं अनियमितता पाये जाने पर कार्यवाही की जायेगी। साथ ही कृत्रिम गर्भाधान की मानक संचालन प्रकिया (SOP) के सापेक्ष कार्य न करने की दशा में मैत्री को उपलब्ध करायी गयी भारत पशुधन आई0डी0 से वंचित कर दिया जायेगा एवं उनके कार्य के सापेक्ष प्रोत्साहन राशि हेतु उनके द्वारा किया गया दावा मान्य नहीं होगा।

9:— चयन के उपरान्त आवेदनकर्ता को सक्षम स्तर से जारी स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र मुख्य पशु चिकित्साधिकारी कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा।

10:— मैत्री द्वारा किये गये कृत्रिम गर्भाधान कार्य को भारत पशुधन पर अंकन के उपरान्त डिजिटल डाटा को जनपदीय क्षेत्र में परिषद द्वारा सत्यापित करने के पश्चात् प्रोत्साहन राशि दी जायेगी एवं मैत्री स्थापना हेतु एक वर्ष तक प्रति माह उनको टेपरिंग ग्रान्ट दिया जायेगा, जिसमें से 50 प्रतिशत धनराशि रोकी जायेगी जिसे वर्ष के अन्त में उनके कार्य प्रदर्शन पर ही देय होगी।

11:— आवश्यक सूचना/अद्यतन जानकारी इस पोर्टल यू.आर.एल. -https://maitriupldb.in पर ही उपलब्ध रहेगी। इस संबंध में पृथक से कोई भी सूचना नहीं दी जायेगी।

नोट :–

1. **उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद द्वारा जनपदवार चयन किये जाने वाले स्वरोजगारी मैत्री (मल्टी परपज ए0आई0 टेक्निशियन इन रूरल इण्डिया) की संख्या पोर्टल पर उपलब्ध है।**

पत्रांकः /आर.जी.एम.–मैत्री/यू.पी.एल.डी.बी./2024–25 दिनांकः का संलग्नक–

उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद द्वारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन अन्तर्गत मैत्री स्थापना हेतु चयनित मैत्री हेतु शपथ–पत्र रूपये 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित किया जाये तथा नोटरी द्वारा सत्यापित कराया जाये

शपथ–पत्र

मैं.. पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... निवासी ग्राम .... ग्राम पंचायत.. विकास खण्ड..जनपद... उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद गोकरननाथ रोड, बादशाहबाग, निकट पशु चिकित्सालय, लखनऊ के अन्तर्गत मैत्री (मल्टी परपज़ ए.आई. टेक्निशीयन इन रूरल इण्डिया) के रुप में प्रशिक्षित किये जाने हेतु नामित किया गया/की गयी हूँ। मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि :–

1. मैं ग्राम ....ग्राम पंचायत.....................................(स्थान), विकास खण्ड.................................. जनपद...................................... का/की स्थायी निवासी हूँ। मैं समस्त ग्राम पंचायत क्षेत्र में पशुपालको के द्वार पर कृत्रिम गर्भाधान, तथा समय–समय पर पशुपालन विभाग/यू0पी0एल0डी0बी0 द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य करने के लिए वचनबद्ध रहूँगा/रहूँगी।
2. मैं यदि प्रशिक्षण के मध्य में बिना परीक्षा में उत्तीर्ण हुए प्रशिक्षण छोड़ कर जाता/जाती हूँ तो मेरे प्रशिक्षण पर व्यय की गई धनराशि रु0 23000.00 (रु0 तेइस हजार मात्र) उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद को वापस करने के लिए वचनबद्ध रहूँगा/रहूँगी। अन्यथा की स्थिति में उक्त धनराशि मुख्य पशुचिकित्साधिकारी द्वारा राजस्व वसूली की तरह वसूली की जाये।
3. पशुपालन विभाग/यू0पी0एल0डी0बी0 द्वारा पशु प्रजनन कार्य हेतु एवं अन्य कार्य सम्पादित करने हेतु जो भी उपकरण एवं साज सामान मुझे उपलब्ध कराया जायेगा, मैं उनको संभाल कर रखूंगा/रखूंगी एवं इस सामान के रख–रखाव की पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी। यह पशुपालन विभाग/यू0पी0एल0डी0बी0 की सम्पत्ति होगी तथा शपथ–पत्र के बिन्दु–1 में उल्लिखित कार्यो को संतोषजनक ढंग से सम्पादित न करने की अवस्था में पशुपालन विभाग/यू0पी0एल0डी0बी0 को समस्त उपकरण व साज–सामान सही हालत में लौटाने के लिये वचनबद्ध रहूँगा/रहूँगी। अन्यथा की स्थिति में मुख्य पशुचिकित्साधिकारी द्वारा राजस्व वसूली की तरह वसूली की जाये।
4. पशुपालन विभाग/यू0पी0एल0डी0बी0 द्वारा समय–समय पर कृत्रिम गर्भाधान कार्य में प्रयुक्त अतिहिमीकृत वीर्य व तरल नत्रजन का मूल्य निर्धारित दर के अनुसार यू0पी0एल0डी0बी0 को भुगतान करने हेतु वचनबद्ध रहूँगा/रहूँगी।
5. मेरे द्वारा किये गये पशुपालन कार्यो की मासिक प्रगति सूचना निर्धारित प्रारुप पर नियमित रुप से सम्बन्धित पशु चिकित्साधिकारी एवं यू0पी0एल0डी0बी0 को प्रतिमाह प्रेषित करने हेतु वचनबद्ध रहूँगा/रहूँगी।
6. मैं केवल वही पशुपालन सम्बंधी कार्य, जिसके लिए प्रशिक्षित तथा अधिकृत किया गया/गयी हूँ पशुपालको के द्वार पर उपलब्ध कराउंगा/कराउंगी।
7. यू0पी0एल0डी0बी0 द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों के निरीक्षण/मूल्यांकन के समय स्वयं उपस्थित रहकर कार्यो का निरीक्षण/मूल्यांकन कराने हेतु वचनबद्ध रहूँगा/रहूँगी।
8. **यह योजना पूर्णतया स्वरोजगार सृजन की अवधारणा पर आधारित है तथा मैं एक स्वरोजगारी के रुप में कार्य करने हेतु वचनबद्ध रहूँगा/रहूँगी। अतः शासकीय सेवा में मुझे किसी स्थिति में संविलियन का कोई अधिकार नही होगा तथा मैं इसके लिए कभी दावा नहीं करुंगा/करुंगी।**
9. प्रशिक्षणोपरान्त मैं मैत्री के रुप में इस शपथ–पत्र में क्रम संख्या–1 से 8 तक वर्णित शर्तो पर कार्य करुंगा/करुंगी। मैत्री का कार्य प्रारम्भ करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के पूर्व कार्य बन्द कर देने की अवस्था में प्रशिक्षण की अवधि में यू0पी0एल0डी0बी0 द्वारा व्यय की गई धनराशि तथा समस्त उपकरण सही अवस्था में वापस करने के लिये वचनबद्ध रहूँगा/रहूँगी।

हस्ताक्षर शपथ गृहीता मैत्री

नाम :.. पिता का नाम ....

पता : ग्राम– ...., पोस्ट–...................................

थाना–..., विकास खण्ड–...........................

जिला–..., पिन कोड–.................................

मो0नं0–..., ई–मेल आई.डी.–..........................

प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा जारी मैत्री का आई.डी.नं0.–...............................

नोटरी द्वारा सत्यापित

1/4L